न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर कानपुर देहात ।

CNRNo.UPRN–180007152020

मु०नं०–155/2019

अ०सं०–484/2018

कमरूलहक बनाम अशोक कुमार आदि ।

धारा 420,406,467,468,471,504,506 भा०द०सं०

थाना- घाटमपुर, कानपुर नगर ।

पत्रावली पेश हुई । पत्रावली वास्ते आदेश नियत है । पूर्व में प्रार्थी कमरूलहक के विद्वान अधिवक्ता को प्रोटेस्ट पिटीशन प्रार्थना पत्र पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी कोहिनूर चारकोल इण्डस्ट्रीज का प्रोपाइटर व कोयला का कार्य ग्राम नेवादा बिरहर चौकी बिरहर में करता है । अशोक कुमार पुत्र हरी शंकर निवासी कृष्णा वाटिका अपार्टमेंट ब्लाक 2 जुही कला केशव नगर थाना बर्रा कानपुर नगर को प्रार्थी ने पाँच लाख रूपये का कोयला क्रय किया था । उसके भुगतान के लिए पाँच लाख रूपये की चेक सं० –348289 दिया था जो खाते मे धन न होने के कारण चेक बाउन्स होकर उसको वापस हो गयी । अशोक कुमार जानबूझकर उसके साथ धोखाधड़ी व छल करके उसका पांच लाख रूपया हड़प करने की नियत से गलत तरीके से चेक दिया।जब प्रार्थी ने फोन पर बात किया तो विपक्षी अमादा फसाद हो गया कहा कि तुमने मेरा चेक क्यों लगाया बेइज्जती हो गयी इसी नाराजगी के कारण अशोक कुमार ने दिनांक 09–08–2018 को अपने अज्ञात साथियों के साथ उसके ग्राम नेवादा भरथुआ में कोयले की भट्ठी में आकर अभद्र व्यवहार करने लगा मना किया तो उक्त तीनों गाली गलौच करते हुए धक्का मुक्की करने लगे शोर मचाया तो वहां काम कर रहे रईस व महमूद आदि लोगों ने बचाया । अभियुक्तगण उसको तथा उसके परिवार को जान माल की धमकी देते हुए चले गये । प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट अंकित करायी गयी ।मुकदमा उपरोक्त की विवेचना एच०सी०पी० दयाशंकर थाना घाटमपुर के द्वारा की गयी जो विवेचना करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं हैं । विवेचक द्वारा पर्चा नं० 6 के साथ दाखिल भारतीय गैर न्यायिक दस रूपये के स्टाम्प पर हस्तलिखित सुलहनामा दाखिल किया है जिसे प्राधिकारी नोटरी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है । उक्त स्टाम्प पर लिखित कथन वादी मुकदमा व मुल्जिम के द्वारा लिखा नहीं गया है । विवेचक ने वादी का बयान अंकित किया घटना के समर्थन में अन्य बयानों को अंकित किया । चेक को संग्रहीत किया उक्त चेक के सम्बन्ध में बैंक मैनेजर व अन्य साक्ष्यों को संग्रह किया बावजूद कपट व छल से धोखा देकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुल्जिम को बचाने की नियत से गलत बयान अंकित किये । केश डायरी के साथ दाखिल सुलहनामा में अंकित लेख से प्रतीत होता है कि मामला व्यापारिक लेने देने का पाँच लाख रूपये का है जो लेन देन चेक के माध्यम से होना था परन्तु नगद पांच लाख रूपये का लेन देन हुआ जो आयकर व व्यापार कर कानून के विरूद्ध है । अन्वेषण अधिकारी ने जानबूझकर मुल्जिम को बचाने की नियत से उक्त दस्तावेज की रचना किया तथा उक्त दस्तावेज को केश डायरी के साथ शामिल किया । मुकदमा वादी ने मुल्जिमों के साथ कोई भी समझौता नामा नहीं किया है । कथित बकाया पांच लाख रूपया मुल्जिम से प्राप्त नहीं किया है । मुकदमा हाजा में नितान्त झूंठी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत किया है । मुकदमा की विवेचना दूषित है जानबूझकर मुल्जिम को बचाने के लिए झूंठी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत किया है । प्रार्थी /वादी की ओर से घटना की पुनः विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है ।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी कमरूलहक द्वारा विपक्षी अशोक कुमार के विरूद्ध अ०सं० 484/2018 धारा 420,406,467,468,471,504,506 भा०द०सं० थाना- घाटमपुर, कानपुर नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी थी । विवेचक द्वारा विवेचनाक्रम के अन्तर्गत घटना स्थल का निरीक्षण किया गया व वादी मुकदमा कमरूलहक व अशरफ, महमूद, रईस, बैंक मैनेजर श्री मनोज कुमार का बयान अंकित किया गया । पर्चा नं० 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा कमरूलहक ने घटना का समर्थन करते हुए कथन किया है कि वह कोहिनूर चारकोल इण्डस्ट्रीज का प्रोपाइटर है व लकड़ी के कोयले का कार्य करता है । प्रार्थी ने पाँच लाख रूपये का कोयला अशोक कुमार को विक्रय किया था जिसके भुगतान के लिए अशोक कुमार ने पाँच लाख रूपये की चेक सं०–348289

दिया था जिसे उसने सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा कोड़ा जहानाबाद में लगाया था खाते में धन न होने के कारण चेक बाउन्स हो गया । अशोक कुमार ने जानबूझकर उसके साथ धोखाधड़ी व छल करके पांच लाख रूपये हड़पने की नियत से खाते में धन न होने के बावजूद चेक दिया था जब वह अशोक कुमार से फोन से बात किया तो अमादा फसाद कर कहने लगे कि में तुम्हें देख लूंगा । दिनांक 09–09–2018 को दो अज्ञात व्यक्ति के साथ उसके कोयला भट्ठी पर आये तथा आकर अभद्र व्यवहार व गाली गलौच करने लगे तथा मना करने पर धक्का मुक्की करने लगे शोर मचाने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये । पर्चा नं० 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी महमूद व रईस ने भी घटना का समर्थन किया है तथा पर्चा नं० 4 पर बैंक मैनेजर श्री मनोज कुमार का बयान अंकित है जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया है कि चेक सं० 348289 व खाता सं० 3528591608 अशोक कुमार कारपोरेशन बैंक कल्याणपुर शाखा कानपुर के नाम से उपरोक्त चेक सं० 348289 पांच लाख रूपये कोहिनूर चारकोल इण्डस्ट्रीज के नाम से बैंक में आया था लेकिन उपरोक्त खाते व चेक में पर्याप्त धन न होने के कारण उपरोक्त चेक को वापस किया गया था । पत्रावली पर चेक सं० 348289 की छायाप्रति व बैंक मेमो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध है । वादी मुकदमा व अन्य साक्षियों के साक्ष्य से उपरोक्त अशोक कुमार के विरूद्ध धारा 420,504,506 भा०द०सं० का अपराध बनता प्रतीत होता है परन्तु पर्चा नं० 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा मात्र इस आधार पर प्रकरण में अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी गयी कि वादी व अभियुक्त के मध्य शपथ पत्र समझौता के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया । जब कि वादी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर कथन किया गया है कि उसने मुल्जिम के साथ कोई भी समझौतानामा नहीं लिखा है और न ही बकाया पांच लाख रूपये मुल्जिम से प्राप्त किया है । इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्ध धारा 420,504,506 भा०द०सं० के अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने का आधार पर्याप्त है तथा विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं० 234/2018 दिनांकित 09–09–2018 अस्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

विवेचक थाना घाटमपुर, कानपुर नगर द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या सं० 234/2018 दिनांकित 09–09–2018 अस्वीकार की जाती है । अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्ध धारा 420,504,506 भा०द०सं० के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाता है । अभियुक्त दिनांक 18–12–2020 के लिए जरिये समन तलब हो ।

दिनांक 16–10–2020

(राम गोपाल यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर कानपुर देहात ।
J.O.Code–UP02304

Digitally signed by Ram Gopal Yadav
Date: 2020.10.16 14:29:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court